

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्तभवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष 0141-2740837, फैक्स 0141-2742309, ईमेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6)निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/5751-52 दिनांक:- 20-03-2025

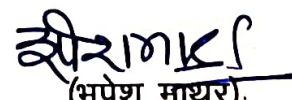
अनापत्ति प्रमाण-पत्र

नव चयनित कनिष्ठ लेखाकारों के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परिक्षाओं में साक्षात्कार एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत आवेदन प्रस्तुत किया है।
जिनका विवरण निम्नानुसार है।

क. स.	कार्मिक का नाम, पद व कार्यालय	अनापत्ति प्रमाण-पत्र का विषय विवरण
1	श्री सुरेश कुमार, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय कोषाधिकारी डीडवाना, कुचामन	राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित आर.ए.एस. परीक्षा 2023 की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन हेतु
2	श्री संजीव कुमार, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय कोषाधिकारी अलवर	राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित आर.ए.एस. परीक्षा 2023 की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन हेतु
3	श्री सुरेन्द्र कुमार, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय कोषाधिकारी सीकर	राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित आर.ए.एस. परीक्षा 2023 की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन हेतु
4	श्री रवि प्रकाश शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय कोषाधिकारी सीकर	राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित सहायक आचार्य (E.A.F.M.) परीक्षा-2023 में उत्तीर्ण होने के पश्चात् साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन हेतु
5	श्री योगेश कुमार, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय कोषाधिकारी बीकानेर	राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित सहायक आचार्य (E.A.F.M.) परीक्षा-2023 में उत्तीर्ण होने के पश्चात् साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन हेतु
6	श्री विजय निठारवाल, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय कोषाधिकारी कोटपुतली- बहरोड	राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित सहायक आचार्य (E.A.F.M.) परीक्षा-2023 में उत्तीर्ण होने के पश्चात् साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन हेतु
7	रेशमा बाकोलिया, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय कोषाधिकारी जयपुर (शहर)	राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा) परीक्षा-2023 में उत्तीर्ण होने के पश्चात् साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन हेतु

नव चयनित कनिष्ठ लेखाकारों को उनके आवेदन पत्र के आधार पर साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। यदि इनका चयन आवेदित पद पर किया जाता है तो ये नियमानुसार इस विभाग से कार्यमुक्त होकर चयनित पद पर कार्यग्रहण कर सकेंगे। इस संबंध में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

इन्हें साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन की तिथि के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा।


(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
सयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6)निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/5751-52 दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

20-03-2023

1. संबंधित कोषाधिकारी..... ।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय ।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
4. संबंधित नवचयनित कनिष्ठ लेखाकार..... ।

(सीमा कौशल)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)